



न्यायालय माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2015 निगरानी मिग-190-98R-15

सुरेन्द्र कुमार सहगल पुत्र स्व.श्री भद्रसेन
आर्य आयु 68 वर्ष व्यवसाय व्यापार
निवासी एफ-4 गांधी नगर ग्वालियर ।

.....आवेदक

बनाम

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ
स्टाम्प्स जिला ग्वालियर कार्यालय न्यू
कलेक्ट्रेट भवन सिरोल रोड, ग्वालियर
2. उपपंजियक महोदय, कार्यालय नजरबाग
मार्केट ग्वालियर।
3. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ग्वालियर
द्वारा महाप्रबंधक महोदय, सिटी सेन्टर
ग्वालियर।

.....अनावेदकगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 56 (4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1989
विरुद्ध आदेश दिनांक 03.11.2014 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ
स्टाम्प्स ग्वालियर जो प्रकरण क्रमांक 101/बी-105/ 2011-12
/47 क-1 बउनवान म.प्र. शासन बनाम महाप्रबंधक जिला
व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ग्वालियर आदि में पारित किया गया
है।

दिनांक 22-1-15 को
की क्रमांक कापडो कोपिठ
द्वारा प्रस्तुत।
बनाम
22-1-15
50

2015-1-22
कापडो
रस

21.1.15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 190 -पीबीआर/2015

जिला ग्वा०

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षों एवं अभिभाषकों
अधि के हस्ताक्षर

12.4.16

आवेदिका की ओर से श्री एस०के०कापसे
अभिभाषक एवं शासन की ओर से श्री बी०एन०त्यागी
अभिभाषक उपस्थित । आवेदक के अभिभाषक ने
प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस
लेने का अनुरोध किया गया । अनुरोध स्वीकार किया
जाता है । प्रकरण वापिस किये जाने के कारण समाप्त
किया जाता है ।

Am


अध्यक्ष